

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

खण्ड-चार, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492002

फोन: 0771-2221840, फैक्स: 0771-2221840 Email: miningdgmeg@gmail.com

विज्ञापन

विज्ञापित क्रमांक 70 ESTB/372/2026-DGM SECTION, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

17 JAN 2026

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग रायपुर के पत्र ESTB-103/129/ 2025- MRD नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 17.09.2025 के परिपेक्ष्य में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के अधीन तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वाहन चालक (नै.देय) एवं चतुर्थ श्रेणी के भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार, चौकीदार (नै.देय) के सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के साथ संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 06.02.2026 को 5.00 बजे तक होगी। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) वाहन चालक (नै. देय)

श्रेणी	मुक्त	महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
अनारक्षित	3	0	0	0	3
अनुसूचित जन जाति	3	0	0	0	3
अनुसूचित जाति	1	0	0	0	1
अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	0	0	1
कुल पदों की संख्या	8	0	0	0	8

(ख) भृत्य

श्रेणी	मुक्त	महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
अनारक्षित	6	2	0	1	9
अनुसूचित जन जाति	2	0	1	0	3
अनुसूचित जाति	1	0	0	0	1
अन्य पिछड़ा वर्ग	2	0	0	0	2
कुल पदों की संख्या	11	2	1	1	15

(ग) सिपाही

श्रेणी	मुक्त	महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
अनारक्षित	3	1	0	0	4
अनुसूचित जन जाति	3	0	0	0	3
अनुसूचित जाति	2	0	0	0	2
अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	0	0	1
कुल पदों की संख्या	9	1	0	0	10

(घ) प्रयोगशाला परिचारक

श्रेणी	मुक्त	महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
अनारक्षित	1	0	0	0	1
अनुसूचित जन जाति	0	0	0	0	0
अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0
अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	0	0	1
कुल पदों की संख्या	2	0	0	0	2

(ङ) चौकीदार

श्रेणी	मुक्त	महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
अनारक्षित	1	0	0	0	1
अनुसूचित जन जाति	1	0	0	0	1
अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0
अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	0	0	1
कुल पदों की संख्या	3	0	0	0	3

(च) चौकीदार (नै. देय)

श्रेणी	मुक्त	महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
अनारक्षित	1	0	0	0	1
अनुसूचित जन जाति	0	0	0	0	0
अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0
अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0
कुल पदों की संख्या	1	0	0	0	1

2. पदों की शैक्षणिक अर्हता :-

(क) वाहन चालक (नै. देय)

- किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण,
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी वाहन चालन का लाईसेंस।
- पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर:-रूपये 19500 (लेबल-4) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(ख) भृत्य

- किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।
- पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर:- रूपये 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(ग) सिपाही

- 1. हाई स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
- 2. पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊँचाई 165 सेंटी मीटर से कम नहीं/महिला अभ्यर्थी के लिए ऊँचाई 152 सेंटी मीटर से कम नहीं ।
- 3. पुरुष अभ्यर्थियों हेतु सीने का (सामान्य स्थिति में) न्यूनतम माप 81 सेंटी मीटर एवं (फुलाने पर) न्यूनतम 85 सेंटी मीटर
- पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर:- रूपये 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(घ) प्रयोगशाला परिचारक

- हाई स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
- पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर:- 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(ङ) चौकीदार

- किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।
- पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर:- 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(च) चौकीदार (नै. देय)

- किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।
- पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर:- 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 9-6/2015/3-एक नया रायपुर दिनांक 05.12.2015 के कंडिका "1" के अनुसार "राज्य शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में "साक्षात्कार" को समाप्त किया गया है"।

मेरिट सूची का निर्धारण :-

1 वाहन चालक हेतु

- 1.1 वाहन चालक (नै. देय) के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार 50 अंक तथा वाहन परिचालन की कुशलता हेतु अधिकतम 50 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- 1.2 शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

2 भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार, चौकीदार (नै.देय) हेतु

1. भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार, चौकीदार (नै.देय) के मेरिट सूची का निर्धारण वांछित योग्यता के आधार पर मेरिट के आधार पर निर्धारण किया जाएगा।

नियम एवं शर्त:-

(1) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाले चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगे एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

(2) निर्धारित आयु सीमा:-

(क) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु (छ.ग. के निवासी हेतु) दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी परंतु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों, या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी, अर्थात्:-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(तीन) जो अभ्यर्थी छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पटीकरण – शब्द “छटनी किये गये शासकीय सेवक ” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हों ।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि में करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप, जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जिसकी भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था ।

- (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ।
- (2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें –
(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्व हो जाने पर
(ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर , सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ।
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक,
- (4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है ।
- (5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किय गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे ।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रूप से अलग किया गया हो ।
- (च) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधुर, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नॉन कमीशनड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी । किंतु ऐसी छूट 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश लागू होंगे ।
- (3) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है ।
- (4) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को जाति प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रति कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।
- (6) विभागीय स्तर पर नियुक्ति पूर्व उम्मीदवार की मूल दस्तावेजों का परिक्षण उपरांत ही अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र माना जावेगा एवं आयु से संबंधित अंक सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

- (7) अन्य शासकीय अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन उन संस्थानों के नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा ।
- (8) विज्ञापित पदों में नियमानुसार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद पर आरक्षित है ।
- (9) विज्ञापित पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, नियम, सेवा शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय की वेबसाइट www.chhattisgarhmines.gov.in पर देखी जा सकती है ।
- (10) विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक करने का अंतिम निर्णय नियोक्ता को होगा ।
- (11) भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी समक्ष अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा । इसके लिए कोई कारण आवश्यक नहीं होगा ।

Digitally signed by

RAJAT BANSAL

Date: 06-01-2026

16:37:25 संचालक

भौमिकी तथा खनिकर्म

छत्तीसगढ़

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

संचालक,
संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म,
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)।

सत्यापित फोटो
चिपकाएं

आवेदित पद का नाम:—

1. आवेदक का पूरा नाम (हिंदी में) :.....
(अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में) :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. पत्र व्यवहार का पता :.....
:.....
:.....
:.....
4. स्थायी पता :.....
:.....
:.....
:.....
5. दूरभाष/मोबाईल क्रमांक :.....
6. जन्मतिथि (अंकसूची अनुसार) :.....वर्ष..... माह.....दिन
अक्षरी में :.....वर्ष..... माह.....दिन
7. आयु (दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में) :.....वर्ष.....माह.....दिन
8. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है ? : हाँ/नहीं
(उत्तर हाँ होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।)
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र क्रं.....दिनांक.....
10. क्या आप विवाहीत है ? :.....
यदि हाँ तो विवाह की तिथि :.....
11. जीवित बच्चों की संख्या :.....

12. जाति का विवरण: जहां लागू हो कृपया ☒ चिह्न लगाये ।
 अनुसूचित जनजाति सामान्य अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग

(जाति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें।)

13. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक कुल अंक	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	श्रेणी

14. कार्यानुभव का विवरण:-

क्र.	पद	संस्थान	अवधि	अनुभव का विवरण

15. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित:-

- 1..... 2.....
 3..... 4.....
 5..... 6.....
 7..... 8.....

आवेदक के हस्ताक्षर

—:घोषणा पत्र:-

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां सत्य, पूरी और सही है। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पाई जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा और परीक्षा/साक्षात्कार में उत्तीर्ण एवं चयन के उपरांत भी मेरा चयन के उपरांत भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा।

मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

स्थान:.....

दिनांक:.....

आवेदक के हस्ताक्षर